

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 01.10.2021

अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अरविन्द यादव उर्फ बड़कू पुत्र रामसेवक यादव निवासी गायघाटखुर्द थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा 315 बोर कारतूस बरामद कर दिनांक 30.09.2021 समय 09.50 बजे रात्रि में फलमण्डी तिराहे आवास विकास कालोनी से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 633/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अपराधिक इतिहास/बरामदगी -

अरविन्द यादव उर्फ बड़कू पुत्र रामसेवक यादव निवासी गायघाट खुर्द थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 633/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान /समय -

दिनांक 30.09.2021 समय 09.50 बजे रात्रि /फलमण्डी तिराहे आवास विकास कालोनी

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विशाल कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 संजय सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 शिवम तिवारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर